न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : सुशिल कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 64 / 2024

लक्ष्मणसिंह   बनाम   किशन कंवर आदि

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा।
प्रार्थना पत्र – अं.आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.
व धारा 151 सी.पी.सी.

ऐडवोकेट वादी अप्रार्थी – श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत
ऐडवोकेट प्रति0 प्रार्थी – श्री राजीव सिंह शेखावत

:: आदेश ::

दिनांक 23.12.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– ग्राम बागोरियां की ढाणी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1637, 1575 में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजीयात के संबंध में वादी द्वारा एक वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय में पेश किया गया है उक्त आराजी के संबंध में एक इकरारनामा दिनांक 13.9.2023 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य निष्पादित किया गया था वादी द्वारा उक्त इकरारनामा की कोई पालना नही की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त इकरारनामा की पालना करवाने को तैयार व तत्पर है।

प्रतिवादी इकरारनामा दिनांक 13.09.2023 की पालना करने के लिए हमेशा तैयार व तत्पर रही परन्तु वादीगण शेष राशि देकर रजिस्ट्री करवाने के लिए तैयार नही थे और वादीगण शेष राशि देकर रजिस्ट्री करवाने को तैयार नही थे। और वादीगण प्रतिवादी को शेष राशि देने को तैयार नही थे। तथा प्रतिवादिया को नाजायज रूप से परेशान करने के लिए एक वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। अनुबंध पत्र की सुनवाई का एकमात्र क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है इसलिए वाद खारिज होने योग्य है।

वादीगण ने उक्त इकरारनामा की पालना के संबंध में सिविल न्यायालय को क्षैत्राधिकार है। क्योंकि इकरारनामा की पालना केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही करवाई जा सकती है। वादी को इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय में वाद पेश करने का कोई विधिक अधिकार नही है। वादी का वाद विधि से बाधित होने से राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नही है। इसलिए वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत विधि द्वारा वर्जित होने से वाद खारिज़ होने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत खाारिज फरमाये जोन की कृपा करें।

वकील अप्रार्थी ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही कर सीधे बहस करना जाहिर किया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि इकरारनामा दिनांक 13.09.2023 के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है। उक्त भूमि रिकॉर्ड में प्रतिवादिया रिकॉर्डेड खातेदार है। जिसके विरूद्व स्थ[illegible] का दावा पेश नही किया जा सकता है। इकरारनामा के आधार पर दावा चलने योग्य नही है। सिविल कोर्ट में स्पेसि[illegible] एक्ट के तहत मुकदमा किया जावे। अतः दावा खारिज किया जावे। [illegible] में वकील [illegible] ने [illegible] किया कि प्रार्थी द्वारा उठाई आपत्ति निराधार है तथा मै इकरारनामें [illegible] के लिए नहीं आया [illegible] इकरारनामा की दिनांक से कब्जा सुपुर्द कर दिया था। उक्त [illegible] नही किया [illegible] इसलिए न्यायालय आया हुं। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये मुझे बेदखल न[illegible] कब्जा काश्त है। प्रतिवादी उक्त भूमि [illegible] अजनबी व्यक्ति को विक्रय कर सकते है। इकरारनामा अभी लिमिट[illegible] है उसमें लिखा है कि जब हम[illegible] नाम हो जायेगी तो हम विक्रय पत्र तस्दीक करवा देंगे।

बहस तथ्यों पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने अपने वाद पत्र की मद संख्या 12(क) में इकरारनामा दिनांक 13.09.2023 के आधार पर प्रतिवादीगण को उक्त विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:20:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अनुतोष चाहा है। उक्त इकरारनामा की वैधता का निर्धारण माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। न्यायालय हाजा के लिए उक्त दावा क्षैत्राधिकार के बाहर होने से प्रकरण आदेश 07 नियम 11 सीपीसी से हिट होता है। अतः दावा क्षैत्राधिकार के बाहर होने के कारण आदेश 07 नियम 11 के अनुसार बार्ड बाई लॉ है। फलस्वरूप प्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 01 द्वारा पेश अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर मौजूदा वाद वादी क्षैत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। निर्णय दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:20:37 IST
Reason: SelfAttested